21/04/25

वाद्यमान प्रार्थीगण गैरहाजिर। वकील प्रार्थी व प्रार्थी के अभाव दिखाई गई। वाद अभाव विलम्ब के कारण न्यायालय समय की कमी नहीं होने से आदेश स्थगन अग्रिम पेशी अग्रिम सूचना खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार शुल्क है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर